निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1946 (श0)

(सं0 पटना 1116) पटना, सोमवार, 25 नवम्बर 2024

सं० 04 / मेट्रो–02–17 / 2024 / 8661—न0वि0एवंआ0वि0
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प
15 नवम्बर 2024

विषयः– **पटना मेट्रो रेल परियोजना अन्तर्गत Priority Corridor के कार्यान्वयन हेतु JICA ऋण के रूप में प्रस्तावित राशि के विरूद्ध तत्काल रू०115.10 करोड़ (एक सौ पन्द्रह करोड़ दस लाख रूपये मात्र) राज्य योजना मद से प्राप्त कर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को अग्रिम के रूप में दिए जाने तथा ट्रैक वर्क, लिफ्ट / इस्कैलेटर एवं एक ट्रेन सेट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य बिहार वित्त नियमावली के नियम–131 ज्ञ (ड़) के आलोक में नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) को दिये जाने की स्वीकृति।**

बिहार राज्य की राजधानी पटना प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है। पटना शहर में पर्यावरण के अनुकूल सुगम यातायात की व्यवस्था एवं जाम की समस्या से नागरिको को निजात दिलाने के साथ ही प्रदूषण निवारण एवं समय की बचत के उद्देश्य से पटना मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–422 दिनांक–02.03.2016 द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजना को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2461 दिनांक–04.09.2019 द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में दो कॉरिडोर का कार्य पूर्ण करने हेतु कुल अनुमानित लागत रू० 13,365.77 करोड़ (तेरह हजार तीन सौ पैंसठ करोड़ सतहत्तर लाख रूपये मात्र) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। जिसके अंतर्गत निवेश के रूप में भारत सरकार एवं बिहार सरकार की हिस्सेदारी 20–20% एवं बाह्य एजेंसी से 60% ऋण लिए जाने का निर्णय तथा बाह्य एजेंसी के रूप में JICA का चिन्हीकरण संकल्प की कंडिका–3 में निहित है।

3. पटना मेट्रो रेल परियोजना अन्तर्गत प्रथम चरण की कुल लंबाई 31.39 कि०मी० एवं कुल स्टेशनों की संख्या 24 प्रस्तावित है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु दो Corridor निम्नवत हैंः–

(i)	East-West Corridor	:	दानापुर–मीठापुर वाया पटना रेलवे स्टेशन।
(ii)	North-South Corridor	:	पटना रेलवे स्टेशन–न्यू आई०एस०बी० टी० वाया गाँधी मैदान, पी०एम०सी०एच०, राजेन्द्र नगर रेलवे स्टेशन।

East-West Corridor की कुल लम्बाई 16.94 कि०मी० प्रस्तावित है, जिसमें उत्थित (elevated) मार्ग कीलम्बाई 5.48 कि०मी०, भूमिगत (Underground) मार्ग की लम्बाई 11.20 कि०मी० एवं भूतल मार्ग (At grade) की लंबाई 0.26 कि०मी० है। उक्त Corridor में कुल 12 स्टेषन प्रस्तावित हैं,जिसमें 3 उत्थित (elevated), 8 भूमिगत (Underground) एवं 1 भूतल (At grade) सम्मिलित है। जबकि North-South Corridor की कुल लम्बाई 14.45 कि०मी० प्रस्तावित है, जिसमें उत्थित (elevated) मार्ग की लम्बाई 9.90 कि०मी० एवं भूमिगत (Underground) मार्ग की लम्बाई 4.55 कि०मी० है। उक्त Corridor में कुल 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिसमें 9 उत्थित (elevated) एवं 3 भूमिगत (Underground) सम्मिलित हैं।

4. उक्त परियोजना अंतर्गत Priority Corridor का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है, जिसकी कुल लम्बाई 6.107 कि०मी० है। इसके अन्तर्गत कुल 05 स्टेशनों यथा पाटलीपुत्रा बस टर्मिनल, जीरो माईल, भूतनाथ, खेमनीचक एवं मलाही पकड़ी को सम्मिलित किया गया है। Priority Corridor को दिनांक 15.08. 2025 के पूर्व क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है।

5. पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्यान्वयन भारत सरकार, बिहार सरकार एवं PMRCL के मध्य दिनांक 06.11.2019 को हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार किया जा रहा है। उक्त समझौते की खंड संख्या 11.1 निम्नवत् हैः–

"भारत सरकार की प्रस्तावित फंडिंग, इक्विटी और अधीनस्थ ऋण के रूप में होगी, जो कुल परियोजना लागत का 20% (यानी 1840.31 करोड़ रूपये) तक सीमित होगी और इसे शेयर धारक समझौता में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए। किन्हीं अन्य कारणों यथा, मूल्य वृद्धि, मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन के कारण, किसी जरूरी आइटम के DPR से छूटने एवं अन्य कारणों से मूल्य वृद्धि का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार की इस मूल्य वृद्धि में कोई भागदारी नहीं होगी।"

6. पटना मेट्रो रेल परियोजना का वित्तपोषण 20% बिहार सरकार द्वारा, 20% भारत सरकार द्वारा एवं शेष राशि JICA द्वारा दीर्घकालीन ऋण के रूप में विभागीय संकल्प सं0–2461 दिनांक–04.09.2019 की कंडिका (3) में प्रस्तावित है। जिसमें कतिपय महत्वपूर्ण कार्य यथा ट्रैक वर्क, लिफ्ट–इस्केलेटर एवं एक ट्रेन सेट JICA ऋण के द्वारा किया जाना निर्धारित है। JICA ऋण प्राप्ति हेतु भारत सरकार एवं JICA के मध्य दिनांक 29.03.2023 को एकरारनामा सम्पादित किया जा चुका है। एकरारनामा की शर्तों के अनुसार परियोजना के सफल रूप से क्रियान्वयन हेतु General Consultant (GC) का चयन अनिवार्य है, इस हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। General Consultant के चयनोपरांत परियोजना के महत्वपूर्ण घटकों यथा ट्रेन सेट, ट्रैक एवं लिफ्ट–इस्केलेटर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन में 30 से 36 माह लगने की संभावना है। DMRC के पत्रांक–7690 दिनांक–24.07.2024 में Priority Corridor को चालू किये जाने के संबंध में विभिन्न घटकों यथा कंडिका–1 में ट्रैक कार्य के लिए रू० 62. 10 करोड़ (रू० बासठ करोड़ दस लाख मात्र), कंडिका–3 में एक ट्रेन सेट के लिए रू० 33.00 करोड़ (रू० तैतिस करोड़ मात्र) तथा कंडिका–4 में लिफ्ट–इस्केलेटर के लिए रू० 20.00 करोड़ (रू० बीस करोड़ मात्र) की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है। DMRC के पत्रांक–7998 दिनांक–24.10.2024 एवं पत्रांक–8027 दिनांक–12.11.2024 द्वारा उक्त सभी घटकों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के संदर्भ में विस्तृत विवरणी दी गई है।

लोक हित में, निर्मित संरचनाओं एवं अधिष्ठापित परिसंपत्ति के समुचित रख–रखाव, संरक्षण एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से तथा सुगम यातायात के हित में Priority Corridor को प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 15.08. 2025 के पूर्व क्रियाशील किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन हेतु JICA ऋण के रूप में प्रस्तावित राशि के विरूद्ध तत्काल रू० 115.10 करोड़ (एक सौ पन्द्रह करोड़ दस लाख मात्र) की राशि राज्य योजना मद से प्राप्त कर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 को अग्रिम के रूप में दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

7.1 उक्त राशि का व्यय मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–5075 अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–60 अन्य परिवहन सेवाएं, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0101–पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, विपत्र कोड–48–5075600510101, विषय शीर्ष–53.01–मुख्य निर्माण कार्य मद में द्वितीय अनुपूरक में प्रावधानित बजट उपबंध से किया जाएगा।

7.2 JICA ऋण के बदले बिहार सरकार से अतिरिक्त लागत के रूप में रू० 115.10 करोड़ (एक सौ पन्द्रह करोड़ दस लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है। JICA से ऋण प्राप्त होने पर इस राशि का समायोजन राज्य स्कीम में पूर्व में किये गये व्यय से किया जायेगा ।

7.3 ट्रैक वर्क, लिफ्ट/इस्कैलेटर एवं एक ट्रेन सेट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य बिहार वित्त नियमावली के नियम–131 ज्ञ(ड़) के आलोक में नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

8. राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–14.11.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या–38 के रूप में इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमंण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1116-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in